

हिन्दी प्रादेशिक समाचार  
आकाशवाणी चंडीगढ़  
8 अप्रैल 2024, समय 1810

- निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव में युवा और शहरी मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया पर कई पहलों और अभियानों की शुरुआत की।
- हरियाणा में लोकसभा चुनाव के दौरान विभिन्न एजेंसियों द्वारा साठे 10 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध शराब और मादक पदार्थ तथा 3 करोड़ 62 लाख रुपये की नकद राशि जब्त की गई।
- हरियाणा के आबकारी एवं कराधान विभाग के आयुक्त ने विभाग के अधिकारियों को शराब की तस्करी पर कड़ी नज़र रखने और पुलिस अधिकारियों के साथ तालमेल बनाकर तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
- हरियाणा में सी-विजिल ऐप के माध्यम से आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की 1204 शिकायतें प्राप्त हुईं, सही पाई गई शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की गई।
- आज सोमवती अमावस्या पर कुरूक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर एवं जींद के पिंड तारक तीर्थ पर श्रद्धालुओं ने स्नान एवं पितृ तर्पण किया।

निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव में युवा और शहरी मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया पर कई पहलों और अभियानों की शुरुआत की है।

आयोग 'टर्निंग-18' और 'यू आर द वन' अभियानों के माध्यम से आकर्षक विषयों पर बने बनाए संदेश भेजने की रणनीति पर काम कर रहा है और लोकप्रिय आइकन और जेन ज़ीड सामग्री का उपयोग कर रहा है।

टर्निंग-18 अभियान का मुख्य उद्देश्य आगामी चुनाव में युवा मतदाताओं को आकर्षित करना है। इसका उद्देश्य पिछले चुनावों में शहरी और युवा मतदाताओं की उदासीनता के पीछे के मुद्दों का समाधान करना भी है।

दूसरी ओर 'यू आर द वन' अभियान का उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया में शामिल विभिन्न हितधारकों के अमूल्य योगदान को स्वीकृति देना है। निर्वाचन आयोग ने प्रक्रिया बारे भ्रामक समाचारों और गलत सूचनाओं पर अंकुश लगाने के लिए भी विशेष अभियान शुरू किया है।

हरियाणा में लोकसभा चुनाव के दौरान विभिन्न एजेंसियों द्वारा अब तक साढ़े 10 करोड़ रुपये से ज्यादा की अवैध शराब व मादक पदार्थ तथा 3 करोड़ 62 लाख रुपये की नकद राशि जब्त की गई है।

राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने बताया कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद राज्य में पुलिस, आयकर विभाग, आबकारी एवं कराधान विभाग तथा राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा यह कार्रवाई की गई है।

उन्होंने बताया कि पुलिस ने 40 लाख 22 हजार रुपये नकद, 2 करोड़ 25 लाख 57 हजार रुपये की कीमत की 70 हजार 671 लीटर शराब, 5 करोड़ 14 लाख 48 हजार रुपये की कीमत के मादक पदार्थ, 56 लाख 81 हजार रुपये की कीमत के प्रलोभन व अन्य वस्तुएं जब्त की गई हैं।

इसी प्रकार, आयकर विभाग द्वारा 42 लाख रुपये नकद, 173 लाख रुपये से अधिक का 2 किलो 967 ग्राम 88 मिलीग्राम कीमती सामान तथा 42 लाख 19 हजार रुपये की अन्य वस्तुएं जब्त की गई है।

श्री अनुराग अग्रवाल ने बताया कि आबकारी विभाग द्वारा ढाई लाख रुपये नकद और 40 लाख रुपये की एक लाख एक हजार 36 लीटर शराब जब्त की गई है। इसके अलावा, राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा 2 करोड़ 78 लाख रुपये की नकद राशि जब्त की गई है।

हरियाणा के आबकारी एवं कराधान विभाग के आयुक्त अशोक कुमार मीणा ने आज सोनीपत में राजस्व एवं आबकारी विभाग के अधिकारियों को शराब की तस्करी पर कड़ी नज़र रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र निर्वाचन आयोग के निर्देशाकर, अवैध शराब की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।

निर्वाचन आयोग इसको लेकर बेहद गंभीर है। विभाग ने इसके लिए क्यू आर कोड की व्यवस्था की है, जिसके माध्यम से उत्पादन तिथि, रवानगी तथा थोक एवं खुदरा विक्रेता की पूरी सूचना प्राप्त की जा सकती है और ऑनलाइन प्रणाली से परमिट की जानकारी ली जा सकती है।

श्री मीणा ने अधिकारियों से डेटा का मिलान न होने की स्थिति में तुरंत कड़ी कार्रवाई करने को कहा है। उन्होंने कहा कि राजस्व एवं आबकारी विभाग के अधिकारी पुलिस अधिकारियों के साथ बेहतरीन तालमेल कायम कर कार्रवाई करें।

उन्होंने बताया कि परमिट शुदा शराब की आवाजाही के लिए प्रदेशभर में 45 रूट निर्धारित किए गए हैं। अन्य किसी भी रूट पर शराब मिलने पर वाहन और शराब को तुरंत जब्त किया जा सकता है।

श्री मीणा ने कहा कि अवैध तथा नकली शराब पकड़ने के लिए चौकसी बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने उड़न दस्तों और अन्य जांच दलों को एक ही जगह पर टिके रहने की बजाये अपनी जगह बदलने रहने की सलाह भी दी।

हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान आम नागरिक सी-विजिल एप के माध्यम से आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर कड़ी नजर रख रहे हैं। इस ऐप के माध्यम से राज्य में अब तक 1204 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनका निश्चित समय में समाधान किया गया है। उन्होंने कहा कि आमजन का “सी-विजिल” मोबाइल एप के माध्यम से चुनाव प्रक्रिया में भागीदारी करना गौरव की बात है।

श्री अग्रवाल ने बताया कि सी-विजिल मोबाइल एप के माध्यम से सर्वाधिक 317 शिकायतें जिला सिरसा से प्राप्त हुई हैं। इसी प्रकार, जिला अंबाला से 219 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। उन्होंने बताया कि केल शिकायतों में से 959 शिकायतें सही पाई गई और इन पर नियमानुसार कार्रवाई की गई। उन्होंने और नागरिकों से भी चुनाव को निष्पक्ष, स्वच्छ और पारदर्शी बनाने में अपना सहयोग करने की अपील की है।

आज सोमवती अमावस्या पर कुरूक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर पर श्रद्धालुओं ने स्नान कर, वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ दान पुण्य किया।

हमारी संवाददाता ने बताया कि कल शाम से ही श्रद्धालु बड़ी संख्या में ब्रह्म सरोवर पर पहुंचना शुरू हो गए थे। उल्लेखनीय है कि शास्त्रों में सोमवती अमावस्या पर ब्रह्म सरोवर में स्नान एवं पूजा पाठ का विशेष महत्व बताया गया है।

उधर जींद के ऐतिहासिक गांव पाण्डु पिण्डारा स्थित पिंडतारक तीर्थ पर भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचे।

हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्रद्धालु कल ही पहुंचने शुरू हो गए थे। रातभर धर्मशालाओं में सत्संग और कीर्तन का प्रवाह चलता रहा। आज अल सुबह ही श्रद्धालुओं ने सरोवर में स्नान और पिंड दान शुरू कर दिया, जो मध्याह्न के बाद तक चलता रहा। श्रद्धालुओं द्वारा पूर्वजों की आत्मा की शांति के पिंडदान के बाद पितृ तर्पण किया गया। मान्यता है की महाभारत युद्ध के बाद पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पांडवों ने यहां 12 वर्षों तक सोमवती अमावस्या

की प्रतीक्षामें तपस्या की थी और सोमवती अमावस्या के दिन युद्ध में मारे गए परिजनों की आत्मा की शांति के लिए पिंड दान किया था।

पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के उद्देश्य से फतेहाबाद के जिलाधीश राहुल नरवाल ने जिले में तुरंत प्रभाव से गेहूं की फसल की कटाई के बाद बचे हुए अवशेष जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

जिलाधीश ने बताया कि इसके अतिरिक्त सभी कंबाइन हारवेस्टर मशीन के मालिकों को आदेश दिए गए हैं कि वे गेहूं की फसल की कटाई के दौरान अपनी कंबाइन हारवेस्टर मशीनों में सुपर स्ट्रामैनेजमेंट सिस्टम लगवाना सुनिश्चित करें। बिना सुपर स्ट्रामैनेजमेंट सिस्टम वाली कंबाइन हारवेस्टर मशीनों द्वारा गेहूं की फसल काटने पर पूर्णतया रोक रहेगी।

ये आदेश रबी सीजन 2024 समाप्त होने तक प्रभावी रहेंगे। उन्होंने कहा कि अवशेषों में आग लगाना वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 तथा भारतीय दंड संहिता का उल्लंघन है। इन अवशेषों के जलाने से होने वाले प्रदूषण से मनुष्य के स्वास्थ्य, संपत्ति की हानि, तनाव, क्रोध तथा जीवन को बाहरी खतरे की संभावना रहती है। उपायुक्त ने कहा कि इन अवशेषों को जलाने से चारे की भी कमी हो जाती है जबकि इससे पशुओं के लिये तूड़ा बनाया जा सकता है।

भिवानी की कृष्णा कॉलोनी के चार मरला क्षेत्र में बीते कई दिनों से दूषित पेयजल की आपूर्ति होने से परेशान क्षेत्रवासियों ने कहा है कि यदि उनकी पेयजल की समस्या का समाधान न हुआ तो वे चुनाव का बहिष्कार करेंगे।

उन्होंने बताया कि वे कई बार प्रशासन और सरकार के प्रतिनिधियों से मिल चुके हैं लेकिन फिर भी उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। क्षेत्रवासियों ने कहा कि वे एक बार फिर से प्रशासन से मुलाकात करके उनकी समस्या के बारे में बतायेंगे लेकिन फिर भी समस्या का हल नहीं होता, तो वे वोट डालने नहीं जायेंगे।

हरियाणा पुलिस की अपराध जांच ब्यूरो की टीम ने नेफिस सिस्टम की सहायता से 2 शवों की पहचान उजागर की है। जिसमें एक शव पंजाब के रहने वाले गग्गी का है वहीं दूसरे शव की पहचान रोहतक के रहने वाले रामकिशन के रूप में हुई है। दोनों ही व्यक्तियों पर अलग अलग धाराओं में मामले दर्ज पाए गए हैं। पुलिस प्रवक्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम (नेफिस) को विकसित किया गया है। नेफिस अपराधियों का एक विशिष्ट पहचान कोड बनाता है। नेफिस प्रणाली में हर उस आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति का डेटा उपलब्ध है जो किसी न किसी अपराध में या तो गिरफ्तार हुए है या फिर मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि इस वर्ष, मात्र 2 माह में ही प्रदेश पुलिस द्वारा 16470 गिरफ्तार व्यक्तियों, अपराधियों एवं अज्ञात शवों के फिंगर प्रिंट का डेटा अपडेट किया गया है। वहीं 5298 फिंगर प्रिंट का अपराधियों से सफलतापूर्वक मिलान किया गया है।

.....